देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/rtiexpose/05 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 2 जुलाई 2019

स्टेशुदा जमीन पर जे.डी.ए. ने पट्टे कैसे बाँट दिए??

जगदम्बा नगर-ए का मामला ,पार्ट-2

अंधेरगर्दी का एक और उदहारण देते हुए जे.डी.ए. ने स्टे शुदा जमीन पर पट्टे बांटने का नया कारनामा किया है,इस मामले का खुलासा तब हुआ,जब स्टेशुदा जमीन में आने वाले एक भूखंड संख्या 68 पर निर्माण किया जाने लगा,जिसके विरुद्ध जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले काश्तकार की तरफ से कार्यवाही करने के लिए भवन निर्माण को रुकवाने की शिकायत की|

हीरापुरा पॉवरहाउस के पीछे बसी कोलोनी जगदम्बा नगर से लगते दो खसरों 108 व 117 की जमीन पर बरसो से है विवाद

राजस्व ग्राम गिरधारी पुरा पटवार हल्का हीरापुरा तहसील जिला जयपुर के खसरा न. 108 व 117 की भूमि जो कि कुल 10 बीघा 16 बिस्वा है, इस भूमि पर काश्तकार स्वर्गीय श्रीमति केसरी देवी उनकी दो पुत्रियों गुलाब देवी एवं हीरा देवी का मालिकाना हक एवं कब्जे काश्त का दावा है एवं विगत 25-30 सालो से इस भूमि पर मालिकाना हक/स्वामित्व को लेकर अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति से विभिन्न न्यायालयों में विवाद चल रहा है वर्तमान मे इस भूमि पर राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर एवं जविप्रा अपिलीय अधिकरण का यथास्थिति का स्थगन आदेश पारित है।

अवैध निर्माण की शिकायत पर स्वीकारी भूखंड संख्या 68 पर जे.डी.ए. पट्टे की बात

जब इस शिकायत पर कार्यवाही के लिए प्रवर्तन अधिकारी, (ज़ोन-पीआरएन-उत्तर-२) द्वारा ज़ोन कार्यालय से अवैध निर्माण हेतु चिन्हीकरण रिपोर्ट मांगी गयी तो उसमे बताया गया कि भूखंड संख्या 68 का पट्टा जोन कार्यालय द्वारा जारी किया जा चूका है और नियमानुसार पट्टेशुदा जमीन पर निर्माण रुकवाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है|

RTI में ख़ारिज की भूखंड संख्या 68 पर जे.डी.ए. पट्टे की बात

इस पर जब मामले की पुष्ठी के लिए सुचना के अधिकार के तहत ज़ोन कार्यालय से जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा पट्टे की बात सीरे से खारिज करते हुए बताया गया कि सम्बंधित भूखंड पर ज़ोन द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है इस जमीन पर श्रीमति गुलाब देवी द्वारा यथास्थिति के आदेश ले रखे है|

जगदम्बा नगर-ए में जे.डी.ए. का नियमन हो चूका,परन्तु स्टे प्रभावित जमीन पर सोसाईटी द्वारा सृजित भूखंडों के पट्टे नहीं जारी करने के दिए थे निर्देश

गौरतलब है कि पूर्व में जगदम्बा नगर-ए पर जे.डी.ए. का नियमन हो चूका है,परन्तु स्टे के कारण लगभग 250 से ज्यादा भूखंडों को पट्टे जारी नहीं करने के निर्देश है|इन्ही भूखंडों में से एक भूखंड संख्या 68 है|

जवाब मांगते सवाल??

सवाल-1;भूखंड का खसरा कैसे बदल गया??

अपनी रिपोर्ट में पीआरएन जोन के अधिकारियों ने यह बताया कि इस भूखंड के पट्टे जारी किये गए है साथ ही राजस्व शाखा की जांच में यह भूखंड खसरा संख्या 118 पर स्थित है और DA द्वारा इस भूखंड पर कोई स्टे नहीं लिखा है|सवाल यह है कि जो भूखंड पहले खसरा न. 117 पर सृजित था,जिस पर बरसों से कास्तकार काबिज है,वो अपने आप कैसे खसरा संख्या 118 पर आ गया??

सवाल-2;खसरों के डिमार्केशन करने का अधिकार किसे है?

खसरों में फेरबदल करने का अधिकार राजस्व विभाग का है जिसके लिए जे.डी.ए. के बड़े अधिकारियों से पूर्वानुमति आवश्यक होती है ऐसे में किसके आदेश से और क्यों खसरों का नया डिमार्केशन किया गया?

सवाल-3;किसने बताया कि पूर्व का डिमार्केशन गलत था और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है?

ऐसे में सवाल उठता है किऐसा कौन जिम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी आ गया जिसने अपने आप इस फाईल की धुल झाडी और यह खोज की कि जगदम्बा नगर-ए के खसरों का डिमार्केशन गलत है और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है|

सवाल-4;नए डिमार्केशन के बाद कितने भूखंड स्टे प्रभावित खसरा संख्या 117 से बाहर आये?

अब सवाल उठता है कि नए डिमार्केशन के अनुसार कितने भूखंडों को स्टेशुदा खसरा संख्या-117 से बाहर लाया गया और पट्टे जारी कर दिए गए|और उन भूखंडों का क्या होगा जो पहले खसरा स. 117 से बाहर थेजिनके पट्टे जारी किये जा चुके है,और नये डिमार्केशन के बाद स्टे प्रभावित खसरा स. 117 में आ गए|

सवाल-5;व्यक्ति विशेष को फायदा पहुचाने के लिए किसने किया अपने पद का दुरूपयोग?

साफ़ तौर पर देखा जाए तो यह मामला भ्रष्टाचार का प्रतीत होता है,क्यूंकि इस पुरे मामले में अधिकारी/कर्मचारी विशेष द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर व्यक्ति विशेष को स्टे की गली निकाल कर फायदा पंहुचाया गया है|जिसकी सुचना देने से अधिकारियों को अपनी पोल-पट्टी खुलने का डर है और वह इस पूरे मामले की सुचना देने से बचते नजर आ रहे है|

जे.डी.ए. में संविदा पर लगे रिटायर्ड कर्मचारी/अधिकारी है भ्रष्टाचार की जड़

जे.डी.ए. में खुद का स्टाफ अब बहुत कम रह गया है जिसके चलते उसे अपने ही पुराने कर्मचारियों को संविदा पर रख रखा है,जिनमे पूर्व के पटवारी,अमीन,तहसीलदार भी शामिल है

संविदा पर होने से इन कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नहीं होती और वह खुलेआम भ्रष्टाचार करते नजर आते है|

अधिकारियों की पकड़ में नहीं आये इससे बचने के लिए खुद ही कर देते है साईन

देखा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद अधिकारी पत्रों पर अपना नाम नहीं लिखते है जिससे पता नहीं चलता कि हस्ताक्षर अधिकारी के है या उसके अधीनस्थ कर्मचारी के|

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पृथ्वीराज नगर (उत्तर), सामुदायिक केन्द्र, चित्रकूट स्टेडियम,
वैशाली नगर के पास, जयपुर।

यू.ओ.नोट

विषयः– जगदम्बा नगर–ए के कैम्प के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्यो को समाचार के रूप मे अखबार में प्रकाशित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोन–17 में अधीन गृ.नि.स.स. की योजना जगदम्बा नगर–ए में निम्न दर्शाये गये भूखण्डों को एच.टी.लाईन एवं राजस्व मण्डल राजस्थान के खसरा नम्बर 108 एवं 117 पर स्थगन आदेश तथा राजस्व दृष्टि से नियमन योग्य शर्ते पुरी नही करने के कारण शिविर के दौरान पट्टे दिये जाना संभव नही है।

<u>प्रभावित भूखण्ड :–</u>

119, 118, 118ए, 118बी, 117ए, 117, 116ए, 116, 115, 114ए, 114सी, 114, 114बी, 114डी, 114ई, 100, 113सी, 113ए, 112सी, 112बी, 112ए, 111ए, 110, 109, 108, 107, 160, 167, 133, 132बी, 132ए, 131, 130, 128, 139ए, 139, 140, 140बी, 141, 142, 142बी, 144ए, 144बी, 152, 152ई, 152डी, 152सी, 152बी, 153, 154, 155बी, 155ए, दुकान संख्या 63 से 74 व भूखण्ड संख्या 180, 199, 199बी, 199ई, 199एफ, 199एफ–1, 200सी–3, 200सी–2, 200डी, 201, 205, 206, 206ए, 207, 212सी4, 212सी3, 212सी, 212बी, 208, 212, 213, 213ए, 214, 214ए, 214ए–1, 228, 227, 226ए, 226, 225, 224, 223, 222ए, 120, 120बी, 120सी, 121बी, 121, 122ए, 122बी, 122एए, 122, 123बी, 123ए, 123, 124डी, 124सी, 124एस–1, 124पी–3, 124पी–2, 124पी–4, 209, 211, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 120ए, 120एफ, 120ई, 120बी, 121सी, 121ए, 121एए, 122डी, 122ई, 122सी, 123जी, 123एफ, 123ई, 123डी, 123सी, 123सीए, 124ए, 211ए, 209ए, 244ए, 242ए, 125ए, 125सी, 125डी, 125ई, 125एफ, 125बी, 126एल, 126एम, 126जे, 126के, 126डी, 126ई, 126सी, 126एफ, 126बी, 126जी, 126एच, 126ए, 126आई, 127, 127ए, 127ए–1, 127बी, 127बी1,2,3, 127सी, 210, 212बी, 210सी, 246, 246ए, 247, 248, 249, 250, 251ए, 251बी, 252ए, 252बी, 253बी, 253ए, 254, 255, 256, 18 से 31, 61 से 68ए, 77बी से 83ए, 86 से 93, व 101, 102, 102ए, 102सी–ए, 102सी, 102बी, 111, 111बी, 112, 112डी, 113सी, 113डी, 197बी, 197सी, 197एफ, 197ई, 197डी, 196ए, 219, 220, 221, 221ए, 222, 222ए, 223, 224, 225, 226, 236, 235, 234, 233, 232, 253बी, 254, 255, 231, 230, 256, 197ए, 197बी, 196, 196ए, 188, 188सी, 90 से 94ए, 97, 96ए, 97, 94, 94बी, 94सी, 94डी, 94ई, 94ए, 93बी

यह कैम्प भूखण्ड संख्या 1 से 250 तक के लिए दिनांक 17.11.2014 को एवं भूखण्ड संख्या 251 से 564 के लिए दिनांक 18.11.2014 को रखा गया है।

उपायुक्त जोन–17
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा/17/पीआरएन/2014/डी– 1006
दिनांकः– 12-11-14

प्रति लिपि :– अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
1. सूचनार्थ/अवलोकनार्थ के साथ फोटो प्रति।
2. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी हेतु है।
3. इसका उपयोग किसी भी ... के रूप में नहीं ...
उपायुक्त जोन–17

जे.डी.ए. द्वारा जारी यू.ओ.नोट जिनमे खसरा प्रभावित भूखंडों के पट्टे जारी नहीं करने के निर्देश है|

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

पैरा 1/N से 6/N के क्रम में जगदम्बा नगर 'C' के भू.सं. 71 के पास भू.सं. 68 के भूस्वामी द्वारा भूखण्ड पर चारदिवारी के अन्दर RCC Pillar व ईंट की दीवार का कार्य किया जा रहा है जिसके वर्तमान फोटोग्राफ 27/C पर संलग्न है अत की मौका स्थिति की ओर निम्नानुसार है।

उक्त भू.सं. 68 जगदम्बा नगर 'C' अनुमोदित मानचित्र के किस खसरे में स्थित है के संबंध में रिपोर्ट राजस्व शाखा एवं सं. नगर नियोजक से लिया जाना उचित होगा।

8 भू.सं. 68 की ओर द्वारा जारी लीज़डीड व साइट प्लान की प्रति पत्रावली के 43/C से 45/C पर संलग्न है एवं उक्त भूखण्ड की मार्गदर्शन टिप्पणी 25,26/N संलग्न है।

मौके पर कार्यालित साइट के वर्तमान में भू.सं.68 पर RCC Pillar एवं Brick wall का निर्माण कार्य जारी है छत नहीं डाली गई है।

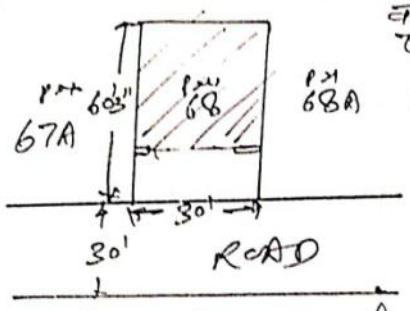

9

उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

25/4/19
(Gajendra ...)
JE

10 A...

योजना जगदम्बा नगर-A की मूल पत्रावली संलग्न कर आज की पेश करें ताकि रिकार्ड के क्रम में रिपोर्ट की जा सके।

ज.वि.प्रा.-रा. स्टोर-2018

Scanned with

ज़ोन की रिपोर्ट जिसमे भूखंड का पट्टा जारी होने की पुष्टी की गयी है

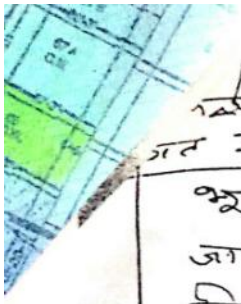

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

गत प्राप्त की गई

भू. सं. 68 की पट्टा पत्रावली पर लिजडीड जारी किये जाने से पूर्व भूखण्ड सं. 68 किस खसरे पर स्थित है, के संबंध में राजस्व शाखा से जांच कर रिपोर्ट चाही गई थी। जिस पर राजस्व शाखा ने भू. सं. 68 को ग्राम गिरधारीपुरा के ख. नं. 118 में बताया गया है एवं DA द्वारा भूखण्ड पर कोई स्टे नहीं है की टिप्पणी अंकित की गई है। उक्त रिपोर्ट पश्चात P.N. 68 की क्षेत्रफल गणना की गई है। रिपोर्ट की प्रति 25/C व 26/C पर संलग्न है।

26/4/19
(जितेन्द्र) ATP

TDR
E.O (PRH-N)

EO (PRH) (N)

29/4/19
तहसीलदार नो ?
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

DC/PRN/N/D. 908
29/4/19

EO PRN (N), R-19
27-4-19

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी

ज़ोन की रिपोर्ट जिसमे बताया गया कि भूखंड खसरा न. 117 के स्थान पर खसरा न.118 पर स्थित है

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सूचना का अधिकार

क्रमांक / जविप्रा / पीआरएन–उत्तर / सू.अ. / डी– 974 दिनांकः– 22.5.1

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस–1, II फ्लोर,
झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड महादेव मोड,
जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने बाबत्।

संदर्भः– आपका आवेदन क्रमांक डी–143994 दिनांक 30.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र के क्रम में लेख है कि रिकार्ड अनुसार भूखण्ड संख्या 68, जगदम्बा नगर–ए की कोई सूचना सृजित नही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :–प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार, जविप्रा, जयपुर।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त ...

दूरभाष – +91–141– ... 2574555

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने बाबत्।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2019 एवं पत्र क्रमांक डी–144029 दिनांक 01.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार प्रेषित है :–

1. पेज न. 1 का बिन्दु 1 -- आपके द्वारा यू.ओ.नोट संख्या 1006 दिनांक 12.11.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें जगदम्बा नगर ए के खसरा नम्बर 108 व 11/ के उन भूखण्डों का उल्लेख है जिनका नियमन एच.टी.लाईन एवं राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश होने के कारण नही किया गया था। इन भूखण्डों के पट्टे आज तक जारी नही किये गये है जिसका कारण श्रीमती गुलाब देवी द्वारा माननीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से यथा स्थिति के आदेश लिए हुए है।

सुचना के अधिकार के तहत दी गयी सुचना जिसमे पट्टे से सम्बंधित जानकारी नहीं होने की बात कही गई है